SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

F.No.SFAC/1-3/ 3/2014-Admn(RTI) 2910
Dated 26.07.2016

Sub: Right to Information Act, 2005.

Sir,

I am to refer to your RTI application No. J.S -401/016 dated 25.06.2016 regarding information on : i) Credit Guarantee Scheme, ii) Farmer Producer Company & iii) Small Farmers Agri-business Consortium (SFAC) and to state that the information for Sl.No. i) & ii) is enclosed and information in respect of Sl.No. iii), it is stated that SFAC is a Society registered under Societies Registration Act , 1860(Act XXI of 1860) under the administrative control of Ministry of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare, Government of India, New Delhi. Other details may be obtained from our website :www.sfacindia.com.

Yours faithfully,

(D.Bhuyan)
Director(P)/CPIO

Copy for information to:

1. Mr Subodh, Arete Consultants Pvt Ltd, 206 & 302 South Extension Plaza-I 389, Masjid Moth, NDSE-II, New Delhi. It is requested that this letter & its enclosures, if any, may please be uploaded on SFAC Website immediately.
2. Admin Section, SFAC, New Delhi.

(D.Bhuyan)
Director(P)/CPIO

Small Farmers' Agribusiness Consortium
(Society sponsored by Dept. of Agriculture and Cooperation, Govt. of India)
5th Floor, NCUI Auditorium, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi - 110016
Tel: 91-11-41060075, 26966017, 26966037, Fax: 91-11-26862367
Email: sfac@nic.in , Web: www.sfacindia.com

2.5 उत्पादक कंपनी का पंजीकरण

'उत्पादक कंपनी' के पंजीकरण के लिए चरणवार बुनियादी सूचनाओं का वर्णन नीचे किया गया है:-

चरण 1:**डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी)**

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करने का प्रावधान है ताकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए गए दस्तावेजों की सुरक्षा एवं प्रमाणिकता का सुनिश्चय हो सके। अब औपचारिक पंजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत से पूर्व कम से कम एक निदेशक या चेरयमैन का डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। यह सुरक्षित एवं प्रमाणित ढंग से किसी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने का एक मात्र तरीका है। इस प्रकार, कंपनियों द्वारा जो भी दस्तावेज/सूचनाएं दाखिल की जाती हैं उनको डिजिटल हस्ताक्षर के प्रयोग के साथ दाखिल करने की जरूरत होती है। इस तरह से कंपनी के लिए यह अनविार्य है कि वे किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर को अधिकृत करें, जो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा।

डीएससी के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पर कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट (अब इसके आगे इसे एमसीए की वेबसाइट कहा गया है) पर उपलब्ध है। अपेक्षित सूचनाओं को दाखिल करने के बाद आवेदन पत्र 'प्रमाणन एजेंसी' के पास ऑनलाइन प्रस्तुत करना होता है। विशिष्ट रूप से 1 या 2 वर्ष की वैधता के साथ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। आरंभिक निर्गम की अवधि समाप्त हो जाने पर इनका नवीकरण कराया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्धारित शुक्ल 1800 रुपए है। इसके अलावा, प्रमाणन एजेंसियां सेवा शुल्क भी लेती है जो एजेंसी दर एजेंसी भिन्न होती है।

चरण 2: निदेशक पहचान संख्या (डिआईएन)

पहचान का प्रमाण (केवल पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार किए जाते हैं) उपलब्ध कराकर किसी शुक्ल का भुगतान किए बगैर नोएडा, उत्तर प्रदेश स्थित कंपनी कार्य प्रकोष्ठ से निदेशक पहचान संख्या ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित फार्म कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।

चरण 3: उत्पादक कंपनी का नामकरण

उत्पादक कंपनी की हैसियत का उपयुक्त ढंग से उल्लेख करते हुए ''..... उत्पादक कंपनी लिमिटेड'' जैसे प्रत्याय का प्रयोग करके उत्पादक कंपनी का नामकरण करना चाहिए। नाम में ''प्राइवेट'' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा इसकी अनुपस्थिति से इस बात का संकेत नहीं मिलता कि कंपनी ''सार्वजनिक'' कंपनी नहीं है।

उत्पादक कंपनी के लिए नाम की उपलब्धता के लिए आवेदन करने एवं चयन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है।

- अधिक से अधिक पांच नामों के साथ कम से कम एक उपयुक्त नाम का चयन तरजीही क्रम से करें, जो कंपनी के मुख्य उद्श्यों को इंगित करे।
- पोर्टल (http://www.mca.gov.in) पर 'नामों' की उपलब्धत की जांच सेवा प्राप्त करके सुनिश्चित करें कि पहले से किसी अन्य पंजीकृत कंपनी के नाम से चुने गए नामों की समानता न हो तथा प्रतीक चिन्ह एवं नाम (अनुचित प्रयोग निषेध) अधिनियम 1950 के प्रावधानों का उल्लघंन न हो।
- पोर्टल (http://www.mca.gov.in) पर लॉग आन इन करके ई-फार्म 1(ए)7 में नाम की उपलब्धता का सुनिश्चय करने के लिए संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवेदन करें। इसके साथ 500 रुपए के शुल्क का भुगतान करना होता है तथा फार्म के साथ कंपनी का प्रस्ताव करने वाले आवेदक का डिजिटल हस्ताक्षर संलग्न करना होता है। यदि पांचों प्रस्तावित नाम उपलब्ध नहीं होते हैं, तो कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक को सूचित किया जाता है तथा बाद में आवेदक को उसी आवेदन पर नए नाम के लिए आवेदन करना होता है।

इसके अलावा, यदि जरूरत नहीं होती है, तो उत्पादक कंपनी का नाम बदलने की आगे भी गुंजाइश रहती है। तथापि, बार-बार नाम बदलना आसान नहीं होता है। कपंनी अधिनियम 1956 की धारा 21 के अनुसार, निदेशक मंडल के दो तिहाई तथा सामान्य निकाय के एक तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा 500 रुपए के शुल्क के साथ आवेदन पत्र कंपनी रजिस्ट्रार को वरीयता क्रम में चार अन्य विकल्पों तथा नए प्रस्तावित नाम के साथ प्रस्तुत करना होता है।

चरण 4: संगम ज्ञापन एंव संगम अनुच्छेद

उत्पादक कंपनी के नाम का सुनिश्चित करने के पश्चात संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद तैयार करने की जरूरत होती है।

- संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद मुद्रित होने चाहिए (वरीयता-कम्प्यूटर प्रिंट आउट जो पेपर के दोनों तरफ मुद्रित हो)।
- संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद पर विधिवत स्टाम्प लगवाएं। संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद पर अपेक्षित संख्या में अनुमोदनकर्त्ता/प्रवर्तकों द्वारा उनके ही हाथों से हस्ताक्षर/अनुमोदन होना चाहिए, तथा उनके पिता के नाम, पेशा, व्यवसाय तथा अनुमोदित किए गए शेयरों की संख्या का उल्लेख होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि ज्ञापन एवं अनुच्छेद पर तारीख ऐसी डाली हो जो स्टाम्प लगाने की तारीख के बाद की हो।

चरण 5: उत्पादक कंपनी के निगमन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा किए जाने वाले दस्तावेज

- देय शुल्क के साथ उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के साथ निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल करें, जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित होना है।
- कंपनी के गठन के लिए नाम की उपलब्धता की पुष्टि करने वाले कंपनी रजिस्ट्रार के पत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
- संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद पर विधिवत स्टाम्प लगा हो तथा उन पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों।
- पंजीकृत कार्यालय की स्थिति के संबंध में फार्म 18 (पूरा पता) या
- निदेशकों के विवरण के संबंध में फार्म 32 (दो प्रतियों में) या
- कंपनियों के गठन के संबंध में सभी एवं आनुषांगिक मामलों के अनुपालन की घोषणा करने वाला फार्म 1 (स्टाम्प पेपर पर) 15
- फार्म 29- निदेशक की सहमति
- यदि भुगतानकर्ता द्वारा हिन्दी में संगम ज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है, तो भुगतान द्वारा इस आशय का एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वे हिन्दी समझते हैं।
- पावर ऑफ अटॉर्नी ।

कृपया ध्यान दें कि सभी सूचनाएं एवं फार्म कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mca.gov.in) पर उपलब्ध है तथा यह कि फार्म सीधे खोले जा सकते हैं और ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं।

चरण 6: निगमन प्रमाण पत्र

- जब कंपनी रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि कंपनी के निगमन के लिए सभी दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं, जो वह ज्ञापन, अनुच्छदों तथा अन्य दस्तावेजों, यदि कोई हो, को पंजीकृत करने तथा 30 दिन के अंदर "निमगन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य होते हैं, जो भाग 9क {धारा 521 ग (2)} की दृष्टि से कंपनी के गठन का निर्णायक प्रमाण होता है।
- उत्पादक कंपनी का निगमन कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित तारीख से लागू होता है।
- उत्पादक कंपनी का निगमन कंपनी विधिशास्त्रीय व्यक्ति अर्थात कानून की नजरों में व्यक्ति बन जाती है। इसके शाश्वत उत्तराधिकारी होते हैं अर्थात इसके सदस्य आ और जा सकते हैं परंतु कंपनी तब तक चलती है जब तक कि कानून की प्रक्रिया का अनुसरण करके इसे बंद नहीं किया जाता है।

- इसकी एक सामान्य मुहर होती है जिसे किसी निदेशक की उपस्थिति में कंपनी की ओर से निष्पादित सभी दस्तावेजों पर लगाया जाता है तथा उस पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या हस्ताक्षर कर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए।
- वह अपने नाम मे सभी संपत्तियों को धारित करने के लिए अधिकृत होती है तथा इसके अपने अधिकार होते हैं। यह दूसरों पर मुकदमा चला सकती है तथा दूसरों द्वारा भी इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है तथा यह अपने नाम में संविदा कर सकती है।

पावर ऑफ अटॉर्नी

उत्पादक कंपनी के निगमन के लिए अपेक्षित सभी कार्य निदेशक मंडल द्वारा किया जा सकता है या विकल्प के तौर पर सामान्य निकाय कंपनी रजिस्ट्रार के साथ मामले का पीछा करने के लिए उनमें से किसी को या किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है (अधिकांश मामलों में इस प्रयोजन के लिए किसी सनदी लेखाकार फर्म या कंपनी सचिव की सेवाएं ली जाती है)। इस तरह के मामले में उन्हें उस व्यक्ति के पक्ष में पावर अटॉनी तैयार करनी होती है जो उनकी ओर से काम करने के लिए अधिकृत होता है।

निदेशकों के सभी भुगतानकर्ता द्वारा विधिवत निष्पादित एवं स्टाम्पयुक्त एक पावर ऑफ अटॉर्नी फार्म कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है।

पावर ऑफ अटॉर्नी धारक विशेष रूप से संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद में तथा कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल सभी अन्य दस्तावेजों में आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने तथा उनकी ओर से सत्यापित करने और निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकृत होता है।

चरण7: ऐसे कार्य जिन्हें उत्पादक कंपनी के निगमन के तुरंत बाद पूरा करना होता है

निम्नलिखित कार्यों को निगमन के तुरंत बाद पूरा करना होता है:-

- आधिकारिक तौर पर कम से कम दो मनोनीत हस्ताक्षर कर्ताओं के साथ कंपनी के नाम से बैंक खाता खोलना।
- कारोबार करने के लिए आयकर विभाग से पैन नंबर तथा वाणिज्य कर विभाग से टीआईएन प्राप्त करना। इसके अलावा, कंपनी को सेवा कर के लिए वाणिज्य कर विभाग तथा वैट के लिए उत्पाद शुल्क विभाग के पास अपना पंजीकरण कराना होता है।
- उत्पादक कंपनी के कार्यालय के लिए संबंधित एजेंसी/बोर्ड के पास विद्युत आपूर्ति के वाणिज्यिक संमंध के लिए आवेदन करना।
- कंपनी का कार्यालय स्थापित करना अर्थात स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले बोर्ड के साथ फर्नीचर एवं फिक्सचर की व्यवस्था करना।